भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4608
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

सरकारी कार्यालयों में क्रेच की सुविधा

4608. डॉ. शर्मिला सरकार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निर्धारित कार्यात्मक क्रेच सुविधाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सुविधाओं के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार के उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें क्रेच की सुविधा नहीं है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अधीन संबंधित राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार हैं, अतः कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है। सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। यह संहिता 21.11.2025 से लागू हो गई है।
